भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

ल खत प्रश्न सं. †1360

सोमवार, 25 जुलाई, 2022/03 श्रावण, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

ग्रामीण स्थलों के वकास हेतु सीएफए प्रदान करने के मानक

†1360. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार देश में ग्रामीण पर्यटन को वांछित सीमा तक वक सत करने के अपने उद्देश्य में सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण पर्यटन योजना की स्थापना के बाद से इसके अंतर्गत क्या उद्देश्य और सफलता प्राप्त की गई है;

(ग) ग्रामीण स्थलों के वकास के लए इसके अंतर्गत केंद्रीय वत्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करने के लए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों में से ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के लए स्वीकृत/जारी और उपयोग की गई नि ध का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और पूरी की गई परियोजनाओं की स्थिति क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. कशन रेड्डी)

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण पर्यटन के वकास के लए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप तैयार कया है- आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक पहल। रणनीति दस्तावेज निम्न ल खत प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है:

i. ग्रामीण पर्यटन के लए आदर्श नीतियां और सर्वोत्तम पद्धति

ii. ग्रामीण पर्यटन के लए डजिटल प्रौद्यो ग कयां और मंच

iii. ग्रामीण पर्यटन के लए क्लस्टरों का वकास

iv. ग्रामीण पर्यटन के लए वपणन सहायता

v. हितधारकों का क्षमता निर्माण

vi. शासन और संस्थागत ढांचा

रणनीति के कार्यान्वयन पर प्रगति की समीक्षा करने और सभी हितधारकों के साथ कार्रवाई का समन्वय करने के लए , स चव (पर्यटन) की अध्यक्षता में ग्रामीण पर्यटन के लए एक टास्क फोर्स का गठन कया गया है , जिसमें चन्हित केंद्रीय मंत्रालयों/संगठनों , राज्य सरकारों/संघ-राज्यक्षेत्र प्रशासनों और उद्योग हितधारकों के प्रतिनि धयों को शा मल कया गया है।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय अपनी स्वदेश दर्शन योजना के दिशानिर्देशों के तहत देश में ग्रामीण पर्यटन से संबं धत अवसंरचना के वकास के लए राज्य सरकारों / संघ-राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वत्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय द्वारा वकास के लए शुरू की गई परियोजनाओं को राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजें सयों के परामर्श से अ भज्ञात कया जाता है और उनके द्वारा परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुति , संबं धत योजना दिशानिर्देशों का अनुपालन, उपयुक्त वस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं के लए जारी की गई नि धयों के उपयोग की शर्त पर नि धयों की उपलब्धता स्वीकृत कया जाता है। ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के लए स्वीकृत/जारी और उपयोग की गई नि धयों का ववरण अनुबंध-I पर है।

उपरोक्त के अलावा , ग्रामीण वकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने सू चत कया है क एमओआरडी ने चयनित ग्रामीण क्षेत्रों को आ र्थक , सामाजिक और अवसंरचना सु वधाएं प्रदान करके क्लस्टर के रूप में , सामाजिक, आ र्थक और भौतिक रूप से संपोषणीय क्षेत्र बनाने के प्रयास के साथ, 21 फरवरी 2016 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मशन (एसपीएमआरएम) योजना को लॉन्च कया है, जिसके परिणामस्वरूप देश में सतत और संतु लत क्षेत्रीय वकास हुआ है।

एसपीएमआरएम के तहत पर्यटन एक घटक है। एसपीएमआरएम क्लस्टरों के समग्र वकास पर ध्यान केंद्रित करता है और वकास के इष्टतम स्तर को सुनिश्चित करने के लए , क्लस्टर वकास के लए इक्कीस घटकों को वांछनीय के रूप में सुझाया गया है। समूहों की आवश्यकता के आधार पर, आय सृजन गति व धयों पर वशेष ध्यान देते हुए पर्यटन घटकों से क्लस्टरों के समग्र वकास के लए व भन्न गति व धयां की जाती हैं।

इस मशन के तहत, पर्यटन घटक के अंतर्गत धन जारी करने का कोई अलग प्रावधान नहीं है, बल्कि योजना दिशानिर्देशों में उल्लि खत कुछ शर्तों की पूर्ति के आधार पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को धनरा श जारी की जाती है। इस मशन के तहत देश भर में क्लस्टरों के वकास के लए 27,635 करोड़ रू. की कुल रा श (सीजीएफ और कन्वर्जेंस दोनों के तहत) को मंजूरी दी

गई है। व भन्न रूर्बन क्लस्टरों में पर्यटन गति व धयों के वकास के लए पर्यटन घटक के तहत स्वीकृत कुल निवेश में से 492 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है और वकास के व भन्न चरणों में हैं। चन्हित कए गए पर्यटन समूहों और स्वीकृत निवेश का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ववरण अनुबंध-II में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

ग्रामीण स्थलों के वकास हेतु सीएफए प्रदान करने के मानक के संबंध में दिनांक 25.07.2022 के लोक सभा के ल खत प्रश्न सं. †1360 के भाग (क) से (घ) के उत्त2र में ववरण

देश में स्वदेश दर्शन योजना के ग्रामीण परिपथ के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ववरण

(रा श करोड़ रू. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृति का वर्ष	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृत रा श	जारी की गई रा श	उपयोग की गई रा श
1.	बिहार	(2017-18)	भतिहारवा - चंद्रहिया –तुर्कौ लया का वकास	बिहार राज्य पर्यटन वकास निगम	44.65	35.72	25.48
2.	केरल	(2018-19)	मालानाड मालाबार क्रूज पर्यटन परियोजना का वकास	केरल पर्यटन वकास निगम	80.37	23.77	0.00*

*उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

****

अनुबंध-II

ग्रामीण स्थलों के वकास हेतु सीएफए प्रदान करने के मानक के संबंध में दिनांक 25.07.2022 के लोक सभा के ल खत प्रश्न सं. †1360 के भाग (क) से (घ) के उत्त2र में ववरण

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार चह्नित पर्यटन क्लस्टर और एसपीएमआरएम के तहत स्वीकृत निवेश और अब तक कया गया व्यय

(रा श करोड़ रू. में)

राज्य का नाम	क्लस्टर का नाम	निवेश अनुमोदित	अब तक कया गया व्यय
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	फेरारगंज	20.79	1.69
आंध्र प्रदेश	अराकुवेल्ली	2.80	0.00
	एलुरु (ग्रामीण)	5.01	0.00
	रामपचोदावरम	1.54	0.00
असम	चंद्रपुर रूर्बन क्लस्टर	2.87	0.69
	हाजो रूर्बन क्लस्टर	6.24	1.07
बिहार	नौरंगा	26.41	0.00
छत्तीसगढ	बडेकनेरा	0.49	0.09
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	सायली	0.50	0.00
गोवा	ज़ेल्डेम	1.51	0.00
गुजरात	बेचाराजी	9.76	0.16
	मैटीड	0.01	0.01
	रवापर	0.40	0.28
	शामलाजी	9.38	3.77
	टीकर	8.74	1.73
हरियाणा	बदली	0.19	0.00
	बल्ला	1.22	0.00
	गणेशपुर	6.05	0.54
हिमाचल प्रदेश	ऑट	3.59	0.63

	घन्नाहटी	0.52	0.26
	हिनर	3.27	0.86
	मूरंग	13.33	3.48
	संगला	1.01	0.30
	सहुंटा	0.27	0.00
जम्मू और कश्मीर	खुमरियाल	11.57	0.48
झारखंड	एडेगा	0.22	0.22
	बीचा	0.66	0.00
	ब्रम्बे	1.69	0.38
	धर्मबहाल	4.41	1.21
	दूधबिला	1.98	0.37
	करौंडी	2.68	0.81
	साराधू	1.90	0.00
	सयालजोरि	0.90	0.00
कर्नाटक	गुरुगुंटा	1.00	1.00
	हरागड्डे	3.65	3.48
	होलालु	4.50	1.20
केरल	एडप्पल व मकुलम क्लस्टर	1.29	0.14
	कंजीकुझी - मरारीकुलम नार्थ	49.11	2.40
	पनाराई - वेंगाड क्लस्टर	7.53	1.64
	पुन्नयूरकुलम वडक्केक्कड़ रूर्बन क्लस्टर	7.57	1.66
	पुथुकोड –कावास्सेरी क्लस्टर	2.22	0.00
	पुथुपल्ली - मनारकाड क्लस्टर	0.22	0.07
	तनालुर –निरामारुथूर क्लस्टर	7.22	2.62
लद्दाख	स्पितुक क्लस्टर	6.58	0.00
लक्षद्वीप	अमीनी	3.05	0.00
मध्य प्रदेश	अच्छात	0.72	0.00
	रामनगर	3.15	0.00
	समरोल	0.90	0.00
महाराष्ट्र	हरताला	34.26	5.87
	कन्होली बारा	1.76	0.00

	कासतवाडी	4.58	0.72
	खड़कला	3.88	0.03
	लोनीकालभोर	0.10	0.00
	निर्गुडे	0.33	0.00
	पटोंडा	0.80	0.00
	वेवाजी	0.58	0.00
	येंगांव	0.70	0.23
म णपुर	केइराव माकटिंग	8.17	0.00
	खंगाबोक	10.68	10.68
	सैकुल	4.10	0.00
मेघालय	च सम अपाला	0.35	0.10
	मावलंग वीर	2.58	1.03
	सोहखा क्लस्टर	0.80	0.16
मजोरम	ऐबॉक	4.98	4.47
	पूर्वी लुंगडार	0.63	0.45
	ख्वाजावल	1.89	1.89
	थंग्सुल्थ लयाह	0.38	0.38
नगालैंड	कोहिमा सदर	2.05	0.00
उड़ीसा	कोटागढ़	0.80	0.00
	कौरमुंडा	1.00	0.00
	रायबनिया	1.60	0.00
पुदुचेरी	बहौर	45.96	6.31
	थरुनालर	22.50	1.80
पंजाब	धंदारा (लु धयाना 1)	3.53	2.73
	संघोल (फतेहगढ़ साहिब)	8.97	7.20
राजस्थान	अबापुरा	1.58	0.48
	भादर	1.30	0.00
	भगोरा	0.66	0.14
	गोगुन्डा	4.28	0.65
	माजीवाला	1.23	0.31
	पीलीखेड़ा	0.35	0.22
	रानीवारा कलाँ	0.45	0.00

	सालावास	0.43	0.04
सक्किम	नामथांग क्लस्टर	1.91	1.70
	सोरेन्ग क्लस्टर	1.60	0.00
त मलनाडु	संगारपेरुमल को वल	0.25	0.25
तेलंगाना	बिजि गरी शरीफ	4.00	1.70
	चौतुप्पल	0.44	0.37
	कुंथला	0.35	0.27
	पर्वथ गरी	11.47	3.40
	सुल्ताना बाद	1.50	0.10
	वेन्ना चेर्ला	4.33	2.20
	येडापल्ली	3.92	1.78
त्रिपुरा	बे लएन्चिप	0.25	0.11
	रोवा	1.79	0.27
उत्तर प्रदेश	बंसगांव	1.24	0.29
	कोडाई	1.00	0.45
	मऊ मुस्ता कल	8.76	0.15
	मदाकुर	3.57	2.13
	श्री नगर	1.13	0.94
उत्तराखंड	धनोल्टी	7.61	4.11
	कौसानी	6.40	2.30
	पहेनिया	2.00	0.91
	कुल योग	492.31	102.56

****